

2025

आदेश

का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व
 मुशंसा के पश्चात ग्राम हरदोडा के खाता सं. 34 खसरा नं. में आवेदन
 व अनुसार नाथराम पुत्र रामेश्वर के स्थान पर नाथूलाल पुत्र रामेश्वर शब्द किये जाने के
 आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र
 मालिकाना अधिकार का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना
 सुनिश्चित करें। आदेश केम्प हरदोडा ग्राम पंचायत हरदोडा में दिनांक 24/11/25
 को मजमेआम में सुनाया गया।



24/11/25
 उपखण्ड अधिकारी
 फागी